

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 307*

दिनांक 23.12.2003/ 2 पौष, 1925 (शक) को उत्तर के लिए
हिन्दी को प्रोत्साहन
प्रश्न

*307. श्री मानसिंह पटेल
श्री रामटहल चौधरी

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी भाषा से संबंधित पैकेज स्थापित नहीं किए गए हैं ;
- (ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;
- (ग) हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए विशेषकर गैर हिन्दी भाषी राज्यों में इसके लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं और क्या कदम उठाए गए हैं ;
- (घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा कराई है ; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० डी० स्वामी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

23.12.2003 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 307 के उत्तर के भाग (क) से (ङ.)में
उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): हिंदी भाषा सीखने संबंधी पैकेज, लीला(लर्न इण्डियन लैंग्वेजेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ 14.09.2003 से इंटरनेट पर उपलब्ध है । यह सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई है । अतः मंत्रालयों/विभागों में प्रत्येक निजी कम्प्यूटर पर अलग से पैकेज स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग): केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के उपाय, गैर हिंदी भाषी राज्यों सहित अनुलग्नक-1 में दिए अनुसवार, समस्त भारत में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं ।

(घ) और (ड.): जी हां श्रीमान । सभी प्रोत्साहन योजनाओं को राजभाषा विभाग में समय -समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जहां कही आवश्यकता होती है, सुधार की जाती हैं ।

अनुलग्नक-1

23.12.2003 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 307 के भा(ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

केन्द्र सरकार के कार्यालय में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम

1. राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टाइपिंग तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के प्रशिक्षण का प्रबंध करता है ।
2. राजभाषा के संबंध में विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाना तथा कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना ।
3. टेलीविजन तथा रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण तथा प्रसारण ।
4. राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण ।
5. वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
6. तिमाही रिपोर्टें तथा निरीक्षण के जरिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों का प्रबोधन करना ।
7. विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन ।
